

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या- 1/प्रशि0 विविध- 09/2015 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

बिहार सेवा संहिता के महत्त्वपूर्ण संदर्शिका की कंडिका- 12 के उप कंडिका-3 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए श्रीमती शोभा कुमारी, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण (शिक्षु), पटना प्रमण्डल, पटना को उनके वर्तमान नाम श्रीमती शोभा कुमारी के स्थान पर श्रीमती शोभा शेखर के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) सभी सम्बन्धितों को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में सम्बन्धित पदाधिकारी के सेवाभिलेख एवं वैयक्तिक अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टि दर्ज कर ली जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 1/प्रशि0 विविध- 09/2015 श्र0सं0- 27

पटना, दिनांक- 26/5/15

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ सभी उप निदेशक (प्रशिक्षण)/ सभी सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/ परीक्षा नियंत्रक, बिहार, पटना/ सभी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित)/ आदेश में नामित पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26.05.15
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव

29/5/15